सिक्किम विश्वविद्यालय , गंगटोक

कार्यकारी परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त 12.11.2009 दार्जीलिंग

दिनांक 12 नवंबर 2009 को आयोजित कार्यकारी परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त

समूह - 1 स्वीकार्यता अपेक्षित मदें

ई सी : 04:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित होने की घोषणा

4.01.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन को व्यवस्थित बतलाया।

ई सी : 04:02	निधन सूचनाएं

4.02.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना सदन के समक्ष गहरे शोक के साथ लाई गई:

1. श्री टाशी तोप्देन, पूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
2. श्री टी डब्ल्यू बारफूंग्पा, सचिव, पशुपालन विभाग, सिक्किम सरकार
3. श्री प्रेम सागर निराश, पत्रकार
4. श्री मन बहादुर गुरूंग, प्रख्यात लेखक
5. श्री सोनम शेर्पा, प्रख्यात कलाकार
6. श्री चंदन सिंह रावत, प्रख्यात ओलम्पियाड
7. डॉ0 श्रीमति कमला सांस्कृत्यायन, पूर्व सदस्य अल्प संख्यक आयोग/लेखिका एवं स्व0 श्री राहुल सांस्कृत्यायन की पत्नी

4.02.2 सदन में गहरे शोक के साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना को नोट किया तथा मृत आत्मा की शांति एवं सम्मान के रूप में 2 मिनट का मौन धारण किया । परिषद ने संतृप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की।

ई सी : 04:03	उप कुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

4.03.1 उप कुलपति ने कार्यकारी परिषद की गत बैठक के बाद विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्य निष्पादन एवं गतिविधियों का उल्लेख करते हुए एक समग्र पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण

(अनुलग्नक एम 1) दिया । सदन में सावधानीपूर्वक इनके समक्ष उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया एवं कार्य निष्पादन उल्लेखों को प्रशंसा करते हुए नोट किया।

ई सी : 04:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 5 जून 2009 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

4.04.1 सदन ने दिनांक 24 अगस्त 2009 के पत्र संख्या एस यू/2009-10/247/2270 के अंतर्गत परिचालित पिछली बैठक के कार्यवृत्त (अनुलग्नक एम 2) पर विचार किया तथा इसकी पुष्टि की । सदन ने इच्छा व्यक्त की कि भविष्य में बैठक के कार्यवृत्त के साथ इसके तत्काल पूर्व की बैठक के कार्यवृत्त को भी सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न किया जाए । इसे सचिव ने अनुपालन हेतु नोट किया।

ई सी : 04:05	कार्यकारी परिषद की दिनांक 5 जून 2009 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

4.05.1 सदन में कार्य सूची मद के प्रति)अनुलग्नक एम3 एम 4 एवं एम 5) के रूप में संलग्न अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया।

ई सी : 04:06	वर्ष 2010-11 हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम

4.06.1 सदन ने माना कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को आरंभ करने का इच्छुक है।

क्रम संख्या	स्कूलों का नाम जिसमें विभाग सन्निहित है	विभाग का नाम	स्तर	पाठ्यक्रम का नाम	प्रस्तावित नामांकन
1.	सामाजिक विज्ञान स्कूल	भुगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	पी जी एवं अनुसंधान	एम एस सी	40
2.	सामाजिक विज्ञान स्कूल	अर्थशास्त्र अध्ययन एवं आयोजना विभाग	पी जी एवं अनुसंधान	एम एस सी	40

3.	भौतिक एवं रसायनिक विज्ञान स्कूल	रासायनिक विज्ञान विभाग	पी जी एवं अनुसंधान	एम एस सी	40
4.	मीडिया संचार एवं सूचना विज्ञान स्कूल	पत्रकारिता विभाग	पी जी एवं अनुसंधान	एम ए	40
5.	स्कूल ऑफ मेडिसिन	फार्मेसी अध्ययन विभाग	एकीकृत	बी फार्म/एम फार्म	30
6.	सामाजिक विज्ञान स्कूल	सामाजिक प्रणाली एवं एन्थ्रोपोलॉजी विभाग	अनुसंधान	एम फिल/पी एच डी	
7.	वैश्विक अध्ययन स्कूल	अंतर्राष्ट्रीय संबंध/राजनीति विभाग	अनुसंधान	एम फिल/पी एच डी	
8.	शांति, संघर्ष एवं मानव सुरक्षा अध्ययन स्कूल	शांति, संघर्ष एवं प्रबंधन अध्ययन विभाग	अनुसंधान	एम फिल/पी एच डी	
9.	जीव विज्ञान स्कूल	माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग	अनुसंधान	एम फिल/पी एच डी	
10.	देशज एवं लोक अध्ययन स्कूल	एक्नोबॉटनी एवं सोशल मेडिसिन अध्ययन विभाग	पी जी एवं अनुसंधान	एम एस सी	40
11.	भाषा विज्ञान एवं भाषाएं स्कूल	एशियाई भाषाएं विभाग	पी जी एवं अनुसंधान	एम ए	40

4.06.2 परिषद ने सुझाव दिया कि एम फिल/पी एच डी सहित अन्य कार्यक्रमों के प्रचालन के लिए वृहत संख्या में संकाय सदस्यों की संलग्नता की आवश्यकता होगी । अतः नियमित आधार पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ किया जाना चाहिए । विजिटिंग प्रोफेसरों को संलग्न/ आमंत्रित करने की संभावना की खोज की जानी चाहिए तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय की सांविधि के अनुसार नियुक्ति आरंभ की जानी चाहिए।

4.06.3 उपरोक्त दृष्टिकोण पर विचार विचार करते हुए परिषद ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को अपने अंतर्शास्त्रीय दृष्टिकोण की रक्षा के लिए संकाय सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार करनी चाहिए, कि उन्हें आवश्यकता अनुसार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजा जा सके। परिषद ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुपालन पर,

साथ ही विश्वविद्यालयों के बीच क्रेडिट स्थानांतरण पर भी विचार करना चाहिए, जहां छात्रों का विनिमय होता है। सदन ने यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अपनी "शैक्षणिक सार्वभौमिकता" का सभी प्रकार से अनुरक्षण करेगा । एक प्रश्न यह भी उठा था कि क्या नियमित संकाय की भर्ती नियत कार्यकाल यथा 5 वर्षों के लिए की जा सकती है, ताकि विश्वविद्यालय को स्थाई नियुक्ति की अपेक्षाओं के बोझ से बचाया जा सके । इस पर उपकुलपति ने उत्तर दिया कि विश्वविद्यालय नई भर्ती हेतु परिवीक्षा अवधि लंबी(2 वर्ष) एवं पुनरीक्षण प्रक्रिया कठिन रखेगा , ताकि संकायों को स्थाई करने के पूर्व एक सही निर्णय लिया जा सकता है कि नियमित आधार पर उनकी निरंतरता बनाए रखी जाए अथवा नहीं ।

4.06.4 सदन ने नोट किया कि इन पदों की यूजीसी द्वारा स्वीकृति विभागों की पुरानी अवधारणा पर की गई है, तथा विश्वविद्यालय अधिनियम में विभिन्न विभाग एवं स्कूल उपबंधित है, अतः विश्वविद्यालय विभागों एवं स्कूलों की पारंपरिक अवधारणा से विलग नहीं हो सकता है। विश्वविद्यालय इसे उच्चतर शिक्षा के सम्मानीय मंत्री के साथ उठाएगा, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि यूजीसी द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सार्वभौमिकता पर अतिक्रमण है । सदन ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इस पर कार्यकारी परिषद की एक अलग बैठक बुला सकता है , जिसमें सदन का दृष्टिकोण उचित रूप से व्यक्त हो तथा इसे मंत्रालय के साथ उठाया जा सके।

4.06.5 उपरोक्त विचार-विमर्श के पश्चात, सदन ने वर्ष 2010 -11 के लिए नए पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया।

ई सी : 04:07	वार्षिक लेखाएं एवं लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र 2008 - 9 का अनुमोदन

4.07.1 सदन ने विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र पर विचार किया ।

4.07.2 सदन ने सुझाव दिया कर विश्वविद्यालय वर्ष 2009-10 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन में चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रतिष्ठित फर्म की सेवाओं को संलग्न करें तथा उपकुलपति को इसके लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया । सदन ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय वित्त स्कंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करें । सचिव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में वित्त स्कंध अपनी आंतरिक नियंत्रक गतिविधियां क्रय आदि के मामले में पूर्व लेखा परीक्षा के रूप में चला रहा है ,तथा प्रापण संबंधी सभी गतिविधियां इस उद्देश्य से नियुक्त संबंधित समितियों द्वारा चलाई जा रही है । यद्यपि, उप कुलपति ने आश्वस्त किया की वित्त में आंतरिक नियंत्रण स्कंध अधिक संख्या में व्यवसायिक कर्मचारियों को नियोजित करके तत्काल सुदृढ़ किया जाएगा।

ई सी : 04:08	संशोधित प्राक्कलन 2009-10 एवं बजट प्राक्कलन 2010-11 का अनुमोदन

4.08.1 सदन में संशोधित प्राक्कलन 2009-10 एवं बजट प्राक्कलन 2010-11 इनके समक्ष यथा प्रस्तुत का अनुमोदन किया।

ई सी : 04:09	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती पर सांविधि का अनुमोदन

4.09.1 कार्यकारी परिषद ने उनके समक्ष प्रस्तुत शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती पर ड्राफ्ट संविधि (अनुलग्नक एम 6 एवं एम 7)पर विचार किया। सदन ने सुझाव दिया कि शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती नियमावली में भी एक प्रावधान होना चाहिए कि गैर नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को इस पद पर आवेदन करने के मामले में, चयन हेतु उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन खुला सदन प्रस्तुतीकरण एवं सेमिनार कार्य निष्पादन सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जाएगा। सदन ने उपकुलपति को ड्राफ्ट सांविधि में इस विचार पर विजिटर की सहमति प्राप्त करने के लिए भेजे जाने के पूर्व अन्य संगत मुद्दों पर भी आवश्यक संशोधन करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

4.09.2 उपरोक्त प्रेक्षणों के साथ सदन में उनके समक्ष प्रस्तुत ड्राफ्ट सांविधि का अनुमोदन किया

ई सी : 04:10	नई परियोजनाओं का अनुमोदन

4.10.1 कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने के लिए 2 नई परियोजनाओं का कार्योत्तर अनुमोदन किया । सदन ने कहा कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए कार्यकारी परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, एवं उपकुलपति को विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं को करने के लिए प्राधिकृत किया ।

ई सी : 04:11	यूजीसी द्वारा स्वीकृत गैर शिक्षण पदों का अनुमोदन

4.11.1 कार्यकारी परिषद ने यूजीसी द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित 20 गैर शिक्षण पदों के सृजन का अनुमोदन किया :

क्र. स.	पद का नाम	पद का वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेप पे	वी सी का कार्यालय	एफ ओ का कार्यालय	रजिस्ट्रार का कार्यालय	सी इ ओ का कार्यालय	वित्त शाखा	परीक्षा	प्रशा.	शैक्षणिक	कुल
1.	उप रजिस्ट्रार	ए	15600-39100	7600					1			1	2
2.	सहायक रजिस्ट्रार	ए	15600-39100	5400	1					1		1	3
3.	पी एस	ए	9300-34800	5400	1	1	1						3
4.	अनुभाग अधिकारी	बी	9300-34800	4200					1	1	1	1	4
5.	यू डी सी	सी	5200-20200	2400								2	2
6.	एल डी सी	सी	5200-20200	1900		1	1	1	1				4
7.	वरिष्ठ सहायक	सी	9300-34800	4200					1		1		2
	कुल				2	2	2	1	4	2	2	5	20

4.11.2 सदन में सुझाव दिया था कि यू जी सी द्वारा स्वीकृत कुछ पदों के पदनाम विश्वविद्यालय द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे नामों से भिन्न है । सदन ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय ऐसे पद नामों का प्रयोग गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ती अधिनियम में उनके जॉब अवयवों एवं कार्य क्षेत्रों को तैयार करते समय यू जी सी पदनामों के साथ साथ स्पष्ट करते हुए कर सकता है। विश्वविद्यालय इन नामों में परिवर्तन भी कर सकता है, जहां कहीं भी इनके कार्यात्मक वांछनीयता के अनुसार आवश्यक लगे । उपरोक्त प्रेक्षणों के साथ सदन ने स्वीकृत पदों का अनुमोदन किया।

ई सी : 04:12	एम फार्म सिलेबस हेतु अनुमोदन

4.12.1 सदन में पाठ्यचर्या विकास समिति द्वारा तैयार किए गए एम फार्म सिलेबस पर निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार किया ।

क्र. सं0	विशेषज्ञता की शाखा
1.	फार्मास्युटिक्स
2.	फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री
3.	फार्माकोगनॉजी
4.	फार्माकोलॉजी
5.	फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एवं गुणता आश्वासन
6.	फार्मेसी प्रैक्टिस
7.	फार्मास्यूटिकल प्रबंधन
8.	औषधी विकास एवं क्लिीनिकल अनुसंधान
9.	फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी

4.12.1 तदनुसार, सदन ने इसका अनुदेश के साथ अनुमोदन किया कि इसे जहां कहीं आवश्यक हो, भारत के फार्मेसी परिषद को प्रस्तुत किया जाए ।

ई सी : 04:13	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के प्रति किराए के आवास हेतु किराया की प्रतिपूर्ति के लिए नीति का अनुमोदन ।

4.13.1 सदन ने इसके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया । सदन ने उपकुलपति के कर्मचारियों के लिए आवास किराया मूल्य /अवस्थानिक लाभ आदि पर विचार करते हुए लीज पर लेने के लिए प्राधिकृत किया , तथा लीज किराया विश्वविद्यालय के द्वारा सीधे भूस्वामी को भुगतान किया जा सकता है । यह सुझाव मुख्यत: इस बात पर विचार करते हुए दिया गया कि विश्वविद्यालय के पास अपने कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध नहीं है । आगे, सदन ने यह भी विचार किया कि सिक्किम एक दुर्गम अवस्थान है तथा विश्वविद्यालय के लिए कर्मचारियों को अपना कार्य प्रभावकारी ढंग से करने के लिए उचित आवास उपलब्ध करवाना अनिवार्य है । सदन ने सुझाव दिया की लीज डीड त्रिपक्षीय (भूस्वामी ,किराएदार एवं विश्वविद्यालय) किया जा सकता है तथा आवास को अच्छी अवस्था में रखने की जिम्मेदारी किराएदार पर नियत की जा सकती है ।

ई सी : 04:14	डंबर सिंह महाविद्यालय द्वारा राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र ,शिक्षा एवं अंग्रेजी में सम्मान विषय पर नए पाठ्यक्रम हेतु प्रस्ताव पर विचार करना ।

4.14.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्य सूची मद को नोट किया । सदन ने कार्य सूची मद संख्या 4.34 के अंतर्गत विषय पर प्रस्तुत समेकित तथ्यों पर भी विचार किया ।सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण को संचालित करने में अपनाई जा रही विधियों के बारे में भी जानकारी मांगा ।

4.14.1 सदन ने संकल्प लिया कि इस विषय को इनके समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति के इन महाविद्यालयों के निरीक्षण की समाप्ति पर पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

ई सी : 04:15	"विजिटिंग प्रोफेसर/ फेलो /अतिथि संकाय की विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नियुक्ति" पर अध्यादेश पर विचार एवं अनुमोदन करना ।

4.15.1 सदन ने कार्य सूची मद पर, साथ ही कार्य सूची मद के साथ प्रस्तुत ड्राफ्ट अध्यादेश (अनुलग्नक एम 8) पर भी सावधानी पूर्वक विचार किया। इस मुद्दे पर विस्तृत विचार करने के पश्चात, सदन ने अध्यादेश में निम्नलिखित संशोधन किया:

1. विजिटिंग संकायों की नियुक्ति में को दृढ़ सीमांकन की आवश्यकता नहीं है , तथा अंतर-शास्त्रीय परिनियोजन किया जा सकता है ।
2. सेवारत प्रोफेसर के मामले में अध्यादेश में प्रस्तावित रूपये 20,000 प्रति माह का मानदेय उनके वेतन के अतिरिक्त होगा ।
3. विदेशी विश्वविद्यालयों से सेवारत प्रोफ़ेसर के मामले में अध्यादेश में यथा निर्धारित रुपए 40,000 के स्थान पर रु 20000 प्रति महीने का मानदेय दिया जा सकता है ।
4. एडजंक्ट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु न्यूनतम कार्यकाल को 3 माह एवं 2 वर्षों के बीच रखने की अपेक्षा नमनीय बनाया जा सकता है । अध्यादेश का 2 वर्षों के बाद पुनरीक्षण किया जाए

ई सी : 04:16	छात्रों को वित्तीय सहायता पर अध्यादेश

4.16.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत ड्राफ्ट अध्यादेश (अनुलग्नक एम 9) पर विचार किया। इसमें अध्यादेश बनाए जाने के अतिसतर्कतापूर्ण तरीके के लिए अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया । यह सुझाव दिया कि इस योजना हेतु निधि के लिए अन्य स्रोत के रूप में कार्य और कारपोरेट क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाए । यह भी सुझाव दिया गया की सरकार द्वारा प्रदत कई वित्तीय सहायता योजनाएं हैं , जिनसे इस योजना में निधि प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जा सकता है । सदन ने सुझाव दिया की संपूर्ण अध्यादेश को समिति के समक्ष पुन: भेजा जाना चाहिए, जिसने इस का ड्राफ्ट

बनाया है, ताकि इसे अधिक अंतर्वेशित बनाया जा सके । यद्यपि सदन ने इस कार्य सूची मद में एक बार उपाय के रुप में प्रस्तावित रुपया 67,800/- की वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया । अध्यादेश के अनुमोदन को समिति द्वारा आगामी बैठक में अनुमोदित किए जाने के बाद सदन इस योजना का औपचारिक अनुमोदन करेगा ।

ई सी : 04:17	परीक्षा कार्य हेतु पारिश्रमिक एवं अन्य आकस्मिक व्यय का निर्धारण

4.17.1 सदन ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ परीक्षा कार्य हेतु प्रस्तावित पारिश्रमिक का अनुमोदन किया:

i. उन प्रोफेसरों के मामले में, जिन्हे उत्तर बंगाल के बाहर से बुलाया जाता है, उन्हें टैक्सी किराया/ डीलक्स बस /एसी 2 टायर रेल/ इकनॉमी वायू किराया, जैसा कि मामला हो, दिया जा सकता है । साधन "टैक्सी" भी प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है ।
ii. सदन ने इसे बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय के स्वयं के कर्मचारी को परीक्षा कार्य के लिए कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह उनका नियमित कार्य है। यद्यपि, यदि संकाय सदस्यगण उत्तर पुस्तिकाओं की जांच /मूल्यांकन अपने नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त करते हैं, तो उन्हें मानदंड के अनुसार मानदेय दिया जा सकता है।

ई सी : 04:18	लिंग संवेदनशीलता यूनिट के सदस्यों के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण

4.18.1 सदन ने उन बाह्य सदस्यों के लिए निम्नलिखित दरों का अनुमोदन किया, जो लिंग संवेदनशीलता समिति की बैठक में भाग लेते हैं :

क्र. सं0	मद	राशि
1.	मानदेय	1,000/-
2.	यात्रा भत्ता (40 कि.मी. के अंतर्गत)	200/-
3.	यात्रा भत्ता (40 कि.मी. के बाहर)	500/-

4.18.2 सदन ने यह भी संकल्प किया कि उपरोक्त दरों का अनुसरण उन बाहृय सदस्यों द्वारा किया जाए , जिन्हें अन्य कार्यात्मक समिति की बैठकों से लिया गया है ।

ई सी : 04:19	महाविद्यालयों से संबद्धन शुल्क को प्रभारित करने पर टिप्पणी

4.19.1 सदन ने महाविद्यालयों से संबद्धन शुल्क को प्रभारित करने के इनके समक्ष प्रस्तुत टिप्पणी का अनुमोदन किया तथा विश्व विद्यालय को इसे विजिटर की सहमति प्राप्त करने के लिए पृष्ठांकित किए जाने का निर्देश दिया।

ई सी : 04:20	संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा पी जी पाठ्यक्रमों का संचालन

4.20.1 सदन ने नोट किया कि सिक्किम राज्य में अधिकांश महाविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से पीड़ित है तथा उनमें मानव संसाधनों की कमी है तथा उपकुलपति से अपनी चिंताएं साझा किया । सदन कार्य सूची मद में किए गए प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए एवं विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि पीजी पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के ऐसे किसी अनुरोध पर तब तक विचार ना किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधनों की वांछनीयता महाविद्यालयों द्वारा पूर्णरुपेण प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

ई सी : 04:21	फार्मेसी महाविद्यालय पार्श्विक प्रविष्टि

4.21.1 सदन ने कार्य सूची मद को सावधानीपूर्वक नोट किया तथा विश्वविद्यालय को महाविद्यालय को इस आशय का कारण बताओ नोटिस तत्काल जारी करने का निर्देश दिया कि क्यों नहीं इनसे सुविधाएं वापस ले ली जाए । इसी समय सदन ने यह भी विचार किया की महाविद्यालय के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल निर्णय अंततः निर्दोष छात्रों को ही प्रभावित करेगा, जिन्हें महाविद्यालय द्वारा पार्श्विक प्रविष्टि के रास्ते नामांकन क्षमता से अधिक संख्या में नामांकित कर लिया गया है। इस पर, सदन ने निर्देश दिया की महाविद्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पर प्रतिउत्तर पर विचार करते हुए, विश्वविद्यालय एक अंतिम निर्णय ले सकता है कि अगले शैक्षणिक वर्ष हेतु महाविद्यालय की नामांकन क्षमता, वर्ष 2009-10 के दौरान पार्श्विक प्रविष्टि के अंतर्गत नामांकित छात्रों की अधिक संख्या के समायोजन पश्चात, अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाए।

4.21.1 सदन ने यह भी नोट किया कि ऐसी ही स्थिति पाकिम पैलेटाइन कॉलेज के मामले में आई थी, जहां महाविद्यालय ने बी कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम वर्ष 2004 में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई अनुमति के आधार पर आरंभ किया था । सदन ने कड़ाई से कहा कि इस महाविद्यालय को भी इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि क्यों नहीं इनकी सुविधाओं को वापस ले दिया जाए। महाविद्यालय से उत्तर प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय

मामले पर निर्दोष छात्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर विचार कर सकता है जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान बी कॉम पाठ्यक्रम में नामांकित किया गया था।

4.21.3 विश्व विद्यालय को आगे संबंधित महाविद्यालयों में निरीक्षण दल भेजने का निर्देश दिया गया, तथा वांछित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके । निरीक्षण समिति की रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद के समक्ष इस संबंध में अगले निर्देश हेतु प्रस्तुत की जाए ।

ई सी : 04:22	सुधार पत्र अध्यादेश

4.22.1 सदन ने निम्नलिखित दो स्पष्टकारी टिप्पणियों को परीक्षा पर प्रथम अध्यादेश की धारा 05.16 के नीचे उद्दत किए जाने के लिए अनुमोदित किया।

स्पष्टकारी टिप्पणी: 1

यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामवश उनके एकमात्र पत्र में असफल होने की स्थिति होती है, तो छात्र को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु अनुमति दी जा सकती है, जहां असफल पत्र सुधार पत्र होगा बशर्ते कि अभ्यर्थी यथावांछित सफल अंक प्राप्त करता है।

स्पष्टकारी टिप्पणी: 2

एक विषय में “असफल” शब्द का अर्थ आवश्यक सफल अंक के साथ एक विषय में असफलता होगा।

ई सी : 04:23	विदेशों से अपंजीकृत छात्रों के संबंध में भी नियमावली

ई सी : 04:24	विदेशों से पंजीकृत छात्रों के संबंध में भी नियमावली

4.23.1 सदन ने इन के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त दो कार्यसूची मदों के अंतर्गत(ई.सी.:04:23 एवं ई.सी.:04:24) उक्त दो विनियमावली का अनुमोदन किया । यह भी सलाह दी गई की जब विदेशी छात्रों का नामांकन किया जाए, विश्वविद्यालय को एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को “सलाहकार छात्र मामला” के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि विदेशी छात्रों की जरूरतों पर ध्यान रखी जा सके।

सिक्किम विश्वविद्यालय , गंगटोक

कार्यकारी परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त 12.11.2009 दार्जीलिंग

ई सी : 04:25	वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

4.25.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट 2008- 09 पर विचार किया

ई सी : 04:26	गंगटोक में भूमि प्रापण

4.26.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची पर विस्तार से विचार किया। सदन ने नोट किया की वित्त समिति द्वारा भी अपनी चिंताएं व्यक्त की गई है कि यांग्यंग में विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन में और अधिक विलंब के कारण लागत में बढ़ोतरी, चिह्नित निधियों का अपवर्तन आदी हो सकता है। इन पर विचार करते हुए, वित्त समिति ने अनुशंसा की है कि विश्वविद्यालय को गंगटोक में 5 से 10 एकड़ की भूमि के तत्काल अधिग्रहण का पहल करना चाहिए। यू जी सी द्वारा गंगटोक में भूमि क्रय के लिए रुपए 300 लाख तथा रुपए 50 लाख इस पर भवन निर्माण हेतु 11वीं योजना के दौरान आवंटित किया गया था, इस तथ्य पर भी सदन ने विचार किया। तदनुसार, कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति को गंगटोक में भूमि प्राप्ति हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया । इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय को स्थानीय समाचार पत्रों में गंगटोक में संभावित भूस्वामियों से भूमि क्रय करने की अपनी मंशा को विज्ञापित करने का निर्देश दिया गया। सदन ने निम्नलिखित सदस्यों से एक भूमि क्रय समिति का गठन प्रतिउत्तरों की समीक्षा करने के लिए किया :

क्र. सं.	नाम	स्थिति
1.	डा0 मधुर स्वामीनाथन	अध्यक्ष
2.	श्री अर्जुन स्यांगदेन	सदस्य
3.	सिक्किम सरकार के भूमि राजस्व विभाग से एक प्रतिनिधि अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी, जो कि राज्य में भूमि मामले में अनुभवी हो	सदस्य

4.26.1 रजिस्ट्रार इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा । यह समिति इस प्रक्रिया में परामर्श देने के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है ।

ई सी : 04:27	यांग्यांग में भूमि अधिग्रहण

4.27.1 सदन में मुद्दे को गहरी चिंता के साथ नोट किया। सदन ने कहा कि यहां तक कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय अपने कैंपस के निर्माण हेतु अपनी भूमि प्राप्त नहीं कर सका है, जबकि रुपए 1500 लाख का भुगतान सिक्किम सरकार को किया जा चुका है। समिति निम्नलिखित से चिंतित था:

1) भूमि की लागत आगे बढ़ सकती है।
2) इस भूमि अधिग्रहण हेतु चिह्नित विश्वविद्यालय की योजना निधि वापस/ अपवर्जित की जा सकती है।
3) गंगटोक में किराए पर लिए गए भवनों का किराया दिनों दिन बढ़ रहा है।
4) भूमि विकास तथा भूमि पर पहुंच हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में ही लंबा समय लग जाएगा ।
5) छात्रगण/शिक्षकगण/प्रबंधन यांग्यांग में स्थानांतरित होने की उत्सुकता खो सकते हैं, यदि यह किसी विशेष काल से अधिक विलंब हुआ।

4.27.2 समिति ने यह भी नोट किया कि विधी समिती ने अपनी पिछली बैठक में अपनी चिंताएं उद्देश्य की प्राप्ति के बिना सिक्किम सरकार के साथ निधि स्थगन पर व्यक्त की है । सदन ने पाया की वित्त समिति द्वारा यथा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर स्थाई समिति के गठन से कोई समस्या हल नहीं होगी। इसी समय सदन ने मुद्दे के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव दिया। विश्वविद्यालय को एक तत्काल ज्ञापन सम्माननीय प्रधानमंत्री के प्रति राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी किए जाने के लिए प्रभावित करने के लिए भेजा जाना चाहिए। ऐसा ही एक अनुरोध उच्चतर शिक्षा के माननीय मंत्री के प्रति भी किया जाए । कार्यकारी परिषद ने माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम सरकार के प्रति एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की इच्छा व्यक्त की , ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में शीघ्रता बरती जा सके। विश्वविद्यालय को उपरोक्त दिशा में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

ई सी : 04:28	सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राथमिक सांविधि के प्रति संशोधन

4.28.1 सदन ने कार्यसूची मद का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया । इसके द्वारा कहा गया कि कार्यकारी परिषद के प्रत्येक सदस्य के लिए बैठक में उपस्थित होना परिस्थितिजन्य अनिवार्यताओं को छोड़कर अनिवार्य है , क्योंकि यह विधिक बाध्यता है । सदन ने सुझाव दिया कि कार्यकारी परिषद की बैठक में अनिवार्य रुप से गंगटोक अथवा सिक्किम राज्य में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर अथवा सिलीगुड़ी एवं नई दिल्ली जैसे स्थानों पर आयोजित की जाए।

सिक्किम विश्वविद्यालय , गंगटोक

कार्यकारी परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त 12.11.2009 दार्जीलिंग

समूह II संपुष्टि वांछित मदें

ई सी : 04:29	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतनों का संशोधन

4.29.1 सदन ने कार्यसूची उल्लेखित विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों की नियुक्ति की संपुष्टि की । सदन ने शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की समेकित परिलब्धियों का शेष 10% के निकासी को भी अनुमोदित किया, जिसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा यू जी सी वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद किया गया था।

4.29.2 सदन ने कुमारी ग्रेस चान्कपा की संविदा आधार पर एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामर-II के रूप में दिनांक 7 अगस्त 2009 से की गई रु 20000/- प्रति माह के समेकित वेतन पर नियुक्ति की संपुष्टि की।

4.29.3 इसी प्रकार सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में परिलब्धियों में की गई वृद्धि की संपुष्टि की:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	आहरित वेतन	संशोधित वेतन	प्रभावी तारीख
1.	डॉ0 विमल खवाश, एसोशिएट फेलो-I	रू0 25,000	रू0 30,694	01-04-2009
2.	डा0 गाडे ओम प्रसाद एसोशिएट फेलो-II	रू0 20,000	रू0 30,694	01-04-2009
3.	श्रीमती संगीता एम रसैली, कार्यकारी प्रोगामर	रू0 20,000	रू0 25,000/-	04-06-2009
4.	श्रीमती मिनु लामा, कार्यालय सहायक	Rs10,000	रू0 12,000	04-06-2009
5.	श्री नवराज प्रधान, ड्राइवर	रू0 7,500	रू0 11,000	04-06-2009
6.	श्री प्रेम बहादुर छेत्रीण् कूक	रू0 9,000	रू0 11,000	04-06-2009

ई सी : 04:30	वर्ष 2007-08 हेतु वार्षिक रिपोर्ट

4.30.1 सदन ने वर्ष 2007-08 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की प्रिंटेड प्रति प्रस्तुत की गई एवं सदन ने उपकुलपति को इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

सिक्किम विश्वविद्यालय , गंगटोक

कार्यकारी परिषद की चौथी बैठक के कार्यवृत्त 12.11.2009 दार्जीलिंग

ई सी : 04:31	वसंत (जून 2009) परिणाम

4.31.1 सदन ने कार्य सूची मध्य को नोट किया तथा विश्वविद्यालय परीक्षा की अंतिम तारीख से 20 दिनों के अंतर्गत परिणाम प्रकाशित करने में किए गए प्रतिबद्ध प्रयासों के लिए अपना प्रशंसा अभिलेखित किया।

ई सी : 04:32	स्थापना दिवस कार्यक्रम

4.32.1 सदन ने प्रशंसा के साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न स्थापना कार्यक्रमों के विवरण को नोट किया।

ई सी : 04:33	30 सितंबर 2009 को समाप्त छमाही के लिए विश्वविद्यालय की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट

4.33.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत दिनांक 30 सितंबर 2009 को समाप्त छमाही हेतु विश्वविद्यालय की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट पर विचार एवं नोट किया।

ई सी : 04:34	महाविद्यालयों का निरीक्षण

4.34.1 सदन ने विश्वविद्यालय के समक्ष संबद्धन हेतु लंबित विभिन्न अनुरोधों एवं निरीक्षण का कार्यक्रम को नोट किया।

ई सी : 04:35	सिक्किम विश्वविद्यालय स्वास्थ्य देखभाल योजना (एस यू एच सी)

4.35.1 सदन ने कार्य सूची म्द पर विस्तृत चर्चा की। इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होते हुए सदन में अन्य समान विश्वविद्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के बारे में जानना चाहा, एवं सचिव को प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल योजना पर विचार एवं अनुमोदन हेतु उपरोक्त दिशा में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

ई सी : 04:36	विभिन्न कार्यात्मक समितियों का गठन

4.36.1 सदन ने विश्वविद्यालय की विभिन्न कार्यात्मक समितियों के विवरण को नोट किया तथा इनके कार्य निष्पादन पर अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया

ई सी : 04:37	सांविधिक अधिकारियों के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता

4.37.1 सदन ने सांविधिक अधिकारियों के प्रति स्थानांतरण टी ए के भुगतान हेतु की गई अनुशंसाओं पर विचार किया, जो कि इन्हें कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने अथवा परित्याग के लिए मिलता है तथा इसका अनुमोदन किया।

ई सी : 04:38	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

4.38.1 यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय भविष्य में कार्यकारी परिषद की बैठकें सप्ताहांत/शनिवार के दौरान ही आयोजित करेगा , ताकि सदस्यगण सप्ताह के अपने व्यवसायिक सरोकारों को छोड़े बिना बैठक में भाग ले सके । यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय को सदस्यों के लिए टिकटें/ स्टॉप ओवर उड़ानों की अपेक्षा सीधी उड़ानों के माध्यम से लेनी चाहिए। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय वर्ष 2010 हेतु अपनी बैठकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है , जिसमें वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली ई.सी की तारीखों का उल्लेख किया जाएगा , ताकि माननीय सदस्य अपने ब्राह्मणों को अग्रिम रुप से आयोजित कर सके। भारत सरकार द्वारा घोषित मितव्यता उपायों के कारण विश्वविद्यालय की भी यही इच्छा है कि भविष्य में सभी सदस्यों के लिए एयर टिकटें विश्वविद्यालय द्वारा एपैक्स किराया के माध्यम से बुक की जाएगी तथा उन्हें सभी सदस्यों को भिजवा दी जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई

ह0
(पी वी रवि)
रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी
पदेन सचिव, कार्यकारी परिषद